

फर्द अहकाम

जगदीश नारायण बनाम इन्दिरा देवी

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

सूचक/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 96/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

17/5/24 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. लोरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 25/6/24 को पेश हो .

25/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपका उपास्थिता वकील भगवती लख्वा ① ने जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया। वकील उमयपका की अस्थाई निषेधाज्ञा शर्तना पत्र पर ~~क~~ बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड की अवलोकन करने एवं उमयपका आधिपत्या द्वारा दौरान बहस जाहिर तप्यो पर मनने करने के उपरान्त हम पाते हैं कि उमयपकों की जारीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उमयपका आराजी खसरा नम्बर 154, 24, 255, 3, 31, 314 7511, 7512 कुल कित 8 कुल रकबा 3.4395 हेक्टर. स्थित ग्राम इचली तह. बस्सी जिला जयपुर पर ताफैलला वाद मौके की थमास्थिति बनाए रखेंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर ले कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।

(Signature)